

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पोटासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 2021 / 86

(पुराना वाद सं. 2009 / 18)

1. खांगा पुत्र कल्याण (मृतक)

1/1 हनुमान पुत्र खांगा

1/2 रामलाल पुत्र खांगा

1/3 हीरालाल पुत्र खांगा

1/4 कैलाश पुत्र खांगा

1/5 मंगली देवी पत्नी खांगा

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/6 बदाम देवी पुत्री खांगा पत्नी महादेव जाति कुमावत निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/7 गुलाब देवी पुत्री खांगा पत्नी ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी ग्राम कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/8 मीना देवी पुत्री खांगा पत्नी राजेश जाति कुमावत निवासी ग्राम कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2. काना पुत्र कल्याण (मृतक)

2/1 नवीन पुत्र काना

2/2 गुल्ली देवी पत्नी काना

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2/3 पार्वती पुत्री काना पत्नी लालाराम

2/4 नर्बदा पुत्री काना पत्नी कैलाश

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2/5 गीता पुत्री काना पत्नी बजरंग

2/6 धापू पुत्री काना पत्नी बंशी

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम बेगस तहसील व जिला जयपुर।

2/7 मनभर पुत्री काना पत्नी वैदप्रकाश

2/8 मंजू पुत्री काना पत्नी रमेश

जाति कुमावत निवासी ग्राम हिरनोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

2/9 सावित्री पुत्री काना पत्नी शंकर

2/10 अनिता पुत्री काना पत्नी देवीलाल

जाति कुमावत निवासी ग्राम नया मौजा आसलपुर तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

3. सूरज मल पुत्र कल्याण (मृतक)

3/1 मोहनी देवी पत्नी सुरजमल

3/2 राजेश पुत्र सुरजमल

सहायक कलेक्टर
द्वितीय



3/3 ताराचन्द पुत्र सुरजमल
समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला
जयपुर।

3/4 संती पुत्री सुरजमल पत्नी बोदूराम

3/5 गोपाली पुत्री सुरजमल पत्नी रामरतन
जाति कुमावत निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

3/6 मंशा पुत्री सुरजमल पत्नी मदन जाति कुमावत निवासी ग्राम नया
मौजा आसलपुर तहसील फुलेश जिला जयपुर।

4. हुक्मा पुत्र चन्दा

5. श्रीनारायण पुत्र रुघनाथ (मृतक)

5/1 प्रभाती पत्नी श्रीनारायण

5/2 केसरमल पुत्र श्रीनारायण

5/3 जयराम पुत्र श्रीनारायण

5/4 रमेश पुत्र श्रीनारायण

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला
जयपुर।

5/5 प्रेम पुत्री श्रीनारायण पत्नी गोपाल

5/6 कोयली पुत्री श्रीनारायण पत्नी छोटूमल

5/7 श्याना पुत्री श्रीनारायण पत्नी मोहरूराम निवासी सिराणी तहसील
सांगानेर जिला जयपुर।

5/8 झमरी पत्नी श्रीनारायण पत्नी शंकर लाल

5/9 धापु पुत्री श्रीनारायण पत्नी गोपाल लाल

समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम बेगस तहसील व जिला जयपुर।

5/10 दुर्गा पुत्री श्रीनारायण पत्नी रामदयाल जाति कुमावत निवासी ग्राम
श्योसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

5/11 मैना पुत्री श्रीनारायण पत्नी गणेश जाति कुमावत निवासी ग्राम
खेडी तहसील फुलेश जिला जयपुर।

6. रामनारायण पुत्र रुघनाथ

7. चौथू पुत्र रुघनाथ

समस्त जाति कुमावत निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम



1. श्रीमती बोदी पत्नी नानू (मृतक)

2. रामजीलाल पुत्र नानू

3. झूथाराम पुत्र नानू

4. चुन्नी लाल पुत्र नानू

5. सुमन पुत्री नानू

निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. श्रीमती धापू देवी पत्नी लालाराम (मृतक)

6/1 जयराम पुत्र लालाराम

6/2 नान्हीलाल पुत्र लालाराम

6/3 बुद्धि प्रकाश पुत्र लालाराम

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

7. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक कार्यालय तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्तती इन्द्राज एवं रथाई निवेधाना

निर्णय

दिनांक: 23.12.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर है जिसके हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टर है। उक्त साबिक खसरा नंबरान् की खातेदारी गोविन्दा, हनुमान, नानू पुत्रान् रोडू जाति कुम्हार, निवासी दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में रही है। खातेदार गोविन्द, हनुमान, नानू पुत्रान् रोडू कुम्हार (कुमावत) द्वारा खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/3 की कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 09.09.1983 को वादीगण संख्या 1 ता 7 को विक्रय कर कब्जा भूमि का संभलवाया दिया गया जिसकी रजिस्ट्री उपरजिस्ट्रार सांगानेर के समक्ष दिनांक 14.09.83 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 85 क्रम सं. 727 पृष्ठ संख्या 265 से 266 तक पंजीबद्ध की गयी एवं अति. पुस्तक संख्या 1 भाग सं. 5 के पृष्ठ संख्या 522 से 526 तक पंजीबद्ध की जाकर तस्दीक की गयी। जिसका राजस्व अभियान में दिनांक 18.06.86 को उक्त रजिस्ट्री के बिहाफ पर नामांतरण संख्या 7 के द्वारा वादीगण नंबर 1 ता 7 के नाम नामांतरण खोला गया है। उक्त भूमि में वादीगण के रिहायशी मकानात बने हुये है। एवं कब्जा काश्त है। वादीगण नंबर 1 ता 7 के नाम से दिनांक 18.06.86 को राजस्व अभियान के तहत नामांतरण खोला गया उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हुयी एवं वादीगण इस विश्वास में कि क्रय की भूमि का नामांतरण खोला जा चुका है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो जायेगा यह मानकर आश्वस्त रहें। राजस्व अभियान के दौरान स्वीकृत नामांतरण का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद ना होने के कारण वादीगण को विक्रय की गयी भूमि की खातेदारी गोविन्दा, हनुमान, नानू पुत्रान् रोडू जाति कुम्हार के नाम ही अंकित रही। दिनांक 17.



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

08.03 को उक्त खातेदारान में नानू का देहावरान हो गया तथा नानू के देहावरान होने के उपरांत प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 ने विशाल का नामांतरण स्वयं के नाम से खुलवा लिया जिसमें वादग्रस्त भूमि को जरिये नामांतरण संख्या 84 में दिनांक 11.03.04 को नामांतरण प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के नाम स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद कर दिया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 ने वादग्रस्त भूमि का स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो जाने के कारण स्वयं की अन्य खातेदारी की भूमियों के साथ उपरोक्त विक्रय की गयी हाल खसरा नंबर 28 एवं 32 में स्वयं के हक व हिस्सा 1/9 का दुबारा विक्रय प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 ने प्रतिवादी नंबर 6 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 13.09.2004 को कर दिया। प्रशासन आपके द्वार वर्ष 2004 के अन्तर्गत नामांतरण संख्या 225 दिनांक 16.12.2004 को स्वयं के नाम से खुलवा लिया। कानूनन वादग्रस्त भूमि को स्वयं जानने के उपरांत उसके वारिसान प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 को उक्त भूमि का पुनः विक्रय किये जाने का कानूनन कोई हक व अधिकार हाशिल नहीं था। इस कारण नामांतरण सं. 225 दिनांक 16.12.2004 को वादीगण के हक व हिस्से की भूमि तक निरस्तनीय है। एवं वादीगण के हिस्से की भूमि की देखते हुये अवैध अमान्य व प्रभाव शून्य है। दिनांक 17.08.2009 को समय सुबह 11 बजे प्रतिवादी नंबर 6 स्वयं के साथ 4, 5 व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमि में आई एवं वादीगण से कहा कि तुम्हारे कब्जे काशत की भूमि मैंने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से कय की है एवं इस भूमि को खाली कर कब्जा मुझे संभलवा दो। यदि तुमने भूमि खाली कर कब्जा नहीं संभलवाया तो हम तुम्हें जबरन बेदखल कर कब्जा करेंगे अथवा इस भूमि को अन्य को विक्रय कर देंगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण व उसके साथ आये व्यक्तियों को समझाया तथा स्वयं की खरीद की गई रजिस्ट्री आदि दस्तावेजात दिखाये एवं भूमि स्वयं की खातेदारी एवं कब्जेकाशत की होना बताया तो प्रतिवादी नंबर 6 एवं उसके साथ आये व्यक्तियों को भी मानने व जाते जाते भूमि अन्य दीगर व्यक्ति को विक्रय कर देने की धमकी देकर गये है।



अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वादपत्र बाबत घोषणा व दुरुस्ती इन्ड्राज विरुद्ध प्रतिवादी नंबर 6 इस आशय का डिक्री फरमाया जावं कि प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 ने कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम दहसीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर है


जिसके हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टर में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 13.09.2004 को हिरसा 1/9 का विक्रय प्रतिवादी नंबर 6 को किया है वह अवैध अमान्य प्रभाव शून्य है तथा इसका नामांतरण सं. 225 प्रतिवादीगण नंबर 6 के हक में खोला गया है वह निरस्तनीय है एवं वादीगण रजिस्ट्री दिनांक 14.09.1983 एवं नामांतरण दिनांक 18.06.86 नामांतरण सं. 33 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवा कर बहैसियत खातेदार स्वयं के नाम का अंकन करवाये जाने का अधिकारी है। वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी नंबर 6 बाबत रथाई निषेधाज्ञा का डिग्री फरमाया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिरवा स्थित ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर है जिसके हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टर में हिरसा 1/9 पर अवैध रूप से जबरन कब्जा ना करे ना करावे, ना उपयोग व उपभोग में बाधा डाले ना डलवावे ना ही किसी अन्य को रहन बय हस्तांतरण करे व करावे। तथा प्रतिवादी नंबर 7 को पाबंद फरमाया जावे कि वह दौरान वाद राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रतिवादी नंबर 8 भूमि की रजिस्ट्री ना करे न करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि : वादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार नही होने के कारण राजस्व न्यायालय में अर्थात् माननीय न्यायालय में वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार नही था। वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में तथाकथित विक्रय पत्र को अवैध, अमान्य एवं प्रभावशून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसकी घोषणा किये जाने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को, राजस्व न्यायालय को उक्त वादपत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण वादपत्र प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रारम्भिक तनकियात कायम की जाकर सर्वप्रथम उक्त प्रारम्भिक आपत्तियों पर ही वादपत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने वादपत्र बिना वादकारण के प्रस्तुत किया है। इसलिए वादीगण का वादपत्र वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। खातेदार गोविन्द, हनुमान, नानू पुत्रान



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

गेहूँ कुंआर (कुंआरवा) द्वारा खसम नंबर 68 रकबा 3 बीघा 16 चिरवा में
 हिस्सा 1/3 की कृषि भूमि को जिनमें रिकॉर्ड विक्रय पत्र से वादीगण
 संख्या 1 ता 7 को विक्रय कर कब्जा सम्पला दिया हो। जबकि वास्तविकता
 यह है कि वादीगण सं. 1 ता 7 ने विक्रय मूल्य राशि रकम नानू को नहीं दी
 थी, इस कारण रकम नानू द्वारा खसम अधिकारी, तहसीलदार सांगानेर के
 सख्त आवेदन कर नामान्तकरण पर रोक लगाने का निवेदन किया गया था
 तथा रकम नानू ने एक वादपत्र की वादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया था,
 जिसमें नामान्तकरण पर रोक लगाई गई थी और यह स्पष्ट रूप से वादपत्र व
 तहसीलदार सांगानेर के सख्त प्रस्तुत आवेदन में अंकित किया गया था कि
 वादीगण ने रकम नानू को विक्रय मूल्य राशि अदा नहीं की थी और उसे धोखे
 में रखकर विक्रय पत्र का फंजीशन करवाया था। इस कारण वादीगण को इस
 प्रकार से विवादित सम्पत्ति जिसे वादीगण उनके द्वारा क्रय करना बताते है,
 को कब्जा वादीगण को नहीं सम्पलाया था और विक्रय मूल्य राशि अदा नहीं
 किये जाने के कारण विक्रय पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए वादीगण को विवादित
 सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसी मद में
 वादीगण का यह लिखना भी कतई गलत है कि विवादित आराजीयात पर
 वादीगण का कब्जा हो और वादीगण के रिकायशी मकानात बने हुए हो,
 जबकि उक्त सम्पत्ति पर आज भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का कब्जा है।
 वादीगण का यह लिखना कतई गलत है कि वादीगण सं. 1 ता 7 के नाम से
 दिनांक 18.06.1986 को राजस्व अधियान के तहत नामान्तकरण खोला गया
 हो और राजस्व रिकॉर्ड में उसका अमल दरामत नहीं किया गया हो। जबकि
 वास्तविकता यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के पति व 2 ता 5 के
 पिता रकम नानू के साथ धोखा करते हुए व विक्रय मूल्य राशि बाद में देने का
 आश्वासन देते हुए विक्रय पत्र का फंजीशन करवा लिया था, परन्तु विक्रय पत्र
 फंजीशन करवाने के बाद भी घर पर आकर जो विक्रय मूल्य राशि देने का
 तय किया गया था, वह विक्रय मूल्य राशि नहीं दी। इस कारण नियमानुसार
 रकम नानू ने वादीगण के द्वारा धोखे में रखकर व विक्रय मूल्य राशि दिये
 बिना, जिस विक्रय पत्र का जो फंजीशन करवा लिया था, के आधार पर
 वादीगण के नाम से नामान्तकरण नहीं खोलने बावत् आवेदन तहसीलदार
 महोदय को किया, जिस पर उन्होंने नामान्तकरण नहीं खोलने के आदेश दिये
 और नामान्तकरण पर रोक लगा दी गई थी। इस कारण वादीगण का यह
 लिखना कि दिनांक 18.06.86 को नामान्तकरण खोलने का आदेश होने के
 बाद रिकॉर्ड में अमल दरामत नहीं हुआ हो, कतई गलत है, क्योंकि उक्त



सहायक कलक्टर
 नगर महार डिप्टी



नामान्तकरण स्व० नानू के आवेदन पर ही रोक गया था। इसलिए अब जबकि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता स्व० नानू को एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को विक्रय मूल्य राशि अदा नहीं की है, इसलिए उक्त विक्रय पत्र से किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और इस मद में वादीगण का यह लिखना भी कतई गलत है कि वादीगण इस आश्वासन में रहे हो कि नामान्तकरण खोला जा चुका है और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत हो जावेगा। जबकि वास्तविकता यह है कि वादीगण को इन तथ्यों की पूर्णतया जानकारी है कि तहसीलदार सांगानेर के आदेशानुसार ही नामान्तकरण पर रोक लगाई गई थी और विक्रय मूल्य राशि वादीगण ने अदा नहीं की थी, इसके बावजूद वादीगण ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो वादीगण की बदनियति का घोटक है। वादीगण का यह लिखना कतई गलत है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत ना होने के कारण वादीगण को विक्रय की गई भूमि की खातेदारी गोविन्दा, हनुमान, नानू पुत्रान् रोडू, जाति कुम्हार के नाम ही अंकित रही हो, जबकि वास्तविकता यह है कि वादीगण ने तहसीलदार सांगानेर के समक्ष भी नामान्तकरण खोलने हेतु वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए प्रयास किया, परन्तु प्रतिवादीगण यह जानते थे कि स्व० नानू को उन्होंने विक्रय मूल्य राशि नहीं दी है, इसलिए स्व० नानू के जीवनकाल में स्व० नानू ही वादीगण से विक्रय मूल्य राशि की मांग करता रहा, जिसकी जानकारी पूरे गांव व परिवार को है, जिनके सामने स्व० नानू वादीगण से विक्रय मूल्य राशि की मांग करता था, जिसके बाबत् समाज व परिवार की कई बार मीटिंग भी हुई है, जिसमें वादीगण को समाज व परिवार की मीटिंग में दोषी माना था और समाज व परिवार की मीटिंग में पंचों ने निर्णय भी किया था कि वादीगण उक्त सम्पत्ति पर कभी अपना क्लेम नहीं करेगा, परन्तु अब वादीगण के मन में बेईमानी आने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता स्व० नानू की मृत्यु के बाद यह झूठा वादपत्र गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी मद में वादीगण का यह लिखना भी कतई गलत है कि उक्त आराजीयात का दिनांक 17.08.03 को नानू का देहावसान हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने विरासत का नामान्तकरण स्वयं के नाम से खुलया लिया हो और नामान्तकरण सं. 84 दिनांक 11.03.2004 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत करा दिया हो। जब वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी है और स्व० नानू का देहान्त



सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

दिनांक 17.08.03 को होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने विरासत का नामान्तकरण दिनांक 11.03.2004 को खुलवाया, की जानकारी होने के बावजूद भी नामान्तकरण पर किसी प्रकार की रोक लगवाने की कार्यवाही नहीं की गई और न ही अपना हक व अधिकार होने का क्लेम किया, क्योंकि वादीगण यह जानते थे कि उक्त सम्पत्ति के बाबत समाज व परिवार के पंचों ने निर्णय किया था कि विवादित आराजीयात पर वादीगण कभी क्लेम नहीं करेंगे, परन्तु अब वादीगण के मन में बेईमानी आने के कारण समस्त तथ्यों व वादीगण के द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों को नजरअंदाज करते हुए अर्थात् जिस प्रकार से वादीगण ने बदनियतिपूर्ण तरीके से स्व० नानू से विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया था व विक्रय मूल्य राशि अदा नहीं की थी, उसी प्रकार अब उक्त सम्पत्ति को हड़पने के लिए यह झूठा वादपत्र गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का जवाब दावा रिकॉर्ड पर लिया जाकर वादीगण का वादपत्र मय हर्जे खर्जे के खारिज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया जाकर वाद में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है तनकी संख्या 1 - आया वादीगण यह घोषणा एवं दुरुस्त कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने खसरा नंबर 28 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.30 हैक्टेयर में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 13.09.2004 को हिस्सा 1/9 का विक्रय प्रतिवादी संख्या 6 को किया वह अवैध, अमान्य एवं प्रभावशून्य है। वादीगण/प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 2 - नामान्तकरण संख्या 225 निरस्तनीय है


वादीगण/प्रतिवादीगण
तनकी संख्या 3 - आया वादीगण रजिस्ट्री दिनांक 14.09.1983 एवं नामान्तकरण दिनांक 18.06.1986 नामान्तकरण संख्या 33 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाकर खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है।

वादीगण

तनकी संख्या 4 - आया वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि वाकै ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर खसरा नंबर 28 व 32 में हिस्सा 1/9 पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।वादीगण

तनकी नंबर 5 - सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। ...

वादीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 5


सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

तमछी नंबर 8 - आया वादीगण विवादित आराजियात् के खातेदार नही होने के कारण राजस्व न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने का हक व अधिकार नही है। ...वादीगण/प्रतिवादीगण

तमछीया काठमी उपरांत वाद में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथपत्र वीरबन्धु-1 खांगा पुत्र कल्याण कुमावत, रामधन पुत्र श्री हुम्नाराम, श्रीनारायण पुत्र श्री रुचनाथ कुमावत पेश किये जो शामिल पत्रावली है। विचारणीय वाद में वादीगण स्वयं व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया।

न्यायालय द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 07/2016 बडनवानी खांगा इनाम कोटीला न्यायालय आदेश दिनांक 25.02.2011 स्वीकार किये जाने पर वादपत्र पुन दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुन कार्यवाही हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण की तामील बाजदायरी प्रार्थना पत्र में करवाई जाने पर बाबजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पुन दर्ज वाद में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र चौधू पुत्र रघुनाथ, हुक्मा पुत्र चन्द्रा पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादपत्र में बहस वकील वादी की एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद में अंकन की साबिक खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर है जिसके हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टर है। उक्त साबिक खसरा नंबरान् की खातेदारी गोविन्दा, हनुमान, नानू पुत्रान् रोडू जाति कुम्हार, निवासी दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में रही है। खातेदार गोविन्द, हनुमान, नानू पुत्रान् रोडू कुम्हार (कुमावत) द्वारा खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/3 की कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 09.09.1983 को वादीगण संख्या 1 ता 7 को विक्रय कर कब्जा भूमि का संभलवाया दिया गया जिसकी रजिस्ट्री उपरजिस्ट्रार सांगानेर के समक्ष दिनांक 14.09.83 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 85 क्रम सं. 727 पृष्ठ संख्या 265 से 266 तक पंजीबद्ध की गयी एवं अति. पुस्तक संख्या 1 भाग सं. 5 के पृष्ठ संख्या 522 से 526 तक पंजीबद्ध की जाकर तस्दीक की गयी। जिसका राजस्व अभियान में दिनांक 18.06.86 को उक्त रजिस्ट्री के बिहाफ पर नामांतरण संख्या 7 के द्वारा वादीगण नंबर 1 ता 7 के नाम नामांतरण खोला गया है। उक्त भूमि



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

में वादीगण के रिहायशी मकानात बने हुये है। एवं कब्जा काश्त है। वादीगण नंबर 1 ता 7 के नाम से दिनांक 18.06.86 को राजस्व अभियान के तहत नामांतकरण खोला गया उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरागद नही किया गया। अतः वादीगण को विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय-पत्र दिनांक 09.09.1983 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिसमें गोविन्दा, हनुमान, नानू ने साबिक खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिसवा में स्वयं का हिस्सा 1/3 का बेचान खांगा, काना, सूरजमल पुत्रान् कल्याण व श्री हुकमा पुत्र चन्द्रा व श्रीनारायण, रामनारायण, चौधू पुत्रान् रुघनाथ जाति कुमावत को किया था जो उप-पंजीयक सांगानेर के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 85 क्रम संख्या 727 के पृष्ठ संख्या 522 से 526 पर रजिस्टर है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उपरांत राजस्व अभियान में दिनांक 18.06.86 को नामांतकरण संख्या 7 के द्वारा वादीगण नंबर 1 ता 7 के नाम नामांतकरण भी खोला गया है। तत्पश्चात रोटलमेंट कार्यवाही होने पर साबिक खसरा नंबर के नये नंबर बनाये गये जो गिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 68 के हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.61 है 0 व 32 रकबा 0.30 हैवटेयर कायम किये गये है। दिनांक 17.08.03 को उक्त खातेदारान में नानू का देहावसान हो गया तथा नानू के देहावसान होने के उपरांत प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के नाम विरासत का नामांतकरण खुला। और नामांतकरण संख्या 84 दिनांक 11.03.04 को स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 का नाम अमल दरागद कर दिया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 ने वादग्रस्त भूमि का स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो जाने के कारण स्वयं की अन्य खातेदारी की भूमियों के साथ उपरोक्त विक्रय की गयी हाल खसरा नंबर 28 एवं 32 में स्वयं के हक व हिस्सा 1/9 का विक्रय प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 ने प्रतिवादी नंबर 6 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 13.09.2004 को कर दिया। और प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रशासन आपके द्वार वर्ष 2004 में नामांतकरा संख्या 225 दिनांक 16.12.2004 को नामांतकरण अपने नाम खुलवा लिया। और वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 6 (श्रीमती धापू देवी) का नाम अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1983 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त



सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

1 ता 7 के नाम नामांतरण भी खोला गया है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल-दरामद नहीं किया गया। वकील वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में आर.आर.डी 1992 पेज 615, आर.आर.डी. 1995 पेज 617, आर.आर.डी. 1979 पेज 1, आर.आर.टी. 2008 पेज 1236, आर.आर.डी. 1989 पेज 572, डी.एन.जे 2005 पेज 219, आर.आर.टी. 2006 पेज 434 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य क्लेदम बेअसर हैं, एवं विधि में उसकी कोई महत्वता नहीं है। उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही नल एण्ड वाईड हैं। जिसे सक्षम न्यायालय से भी निरस्त कराने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण को विक्रय पत्र के आधार पर वादअधीन भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कराने की प्रार्थना की।

हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विक्रय हस्तान्तरण किये जाने के पश्चात् विक्रित भूमि में विक्रेता के किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार निहित नहीं होते हैं परन्तु वादअधीन भूमि के संबंध में नानू का देहावसान के पश्चात विरासत का नामान्तरण दर्ज किया गया। जबकि उक्त भूमि का विक्रय पत्र गोविन्दा, हनुमान, नानू ने अपने जीवनकाल में ही कर दिया था। नानू के देहावसान होने के उपरांत प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 के नाम विरासत का नामान्तरण खुला। वह पूर्णतः विधि विधान के विरुद्ध दर्ज थी। परन्तु सम्पूर्ण तथ्यों की एवं वादीगण के हक में हुये विक्रय पत्र की जानकारी होते हुये जो विक्रय पत्र अन्य के नाम तस्दीक कराया वह विक्रय पत्र पश्चातवर्ती विक्रय पत्र है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तों में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। पश्चातवर्ती विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही नल एण्ड वाईड होता है। जिसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उपरोक्त प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। वैसे भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं ना ही साक्ष्य, सबूत एवं अपनी बहस प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त विधिक तथ्य अखण्डनीय हैं। ऐसे में वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण सफल रहा है। वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।



अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.61 हैक्टेयर, व खसरा नंबर 32 रकबा 0.30 हैक्टेयर

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

कुल कित्ता 2 कुल रकमा 0.81 हेक्टर वरि वाके ग्राम दहमीकला पटवार क्षेत्र
 दहमीकला भुक्तान्ति क्षेत्र बगलकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे
 हिसा 1/3 का विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1983 अनुसार खातेदार काशतकार
 घोषित किला जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किला जाता है कि
 सादरसत आराजीमत मे कादीनम का नाम भुक्तान्ति विक्रय पत्र दिनांक
 09.09.1983 के अनुसार सजरन रिकार्ड मे अमल दरमद करे। पत्रावती क्षेत्रत
 सुधार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर
 सुर्वाको भया।



(Handwritten Signature)
 सहायक कलेक्टर
 जयपुर शहर दितीय

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब
इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

खांगा

बनाम

श्रीमती बोदी वगै.

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर - दावा/2021/86

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-1 व हाजिरी
वकील वादी मिनजानिब मुद्ई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात साबिक
खसरा नंबर 68 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 28 रकबा 0.61 हैक्टेयर,
व खसरा नंबर 32 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर वाकै ग्राम
दहमीकलां पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला
जयपुर में हिस्सा 1/3 का विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1983 अनुसार खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त
आराजीयात में वादीगण का नाम मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1983 के अनुसार
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज मुबलिग बाबत्
..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का
अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2022 को जारी की गई।



दस्तखत
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	मीजान	00		मीजान	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय